कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-2693 /मैनपुरी/25364/2017, दिनांक, लखनऊ, जून 20 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त,
आगरा।

विषय : मैनपुरी में शिकोहाबाद-भौगॉव मार्ग (एस0एच0-84) किमी0 चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी0 कुल 25.66 किमी0 लम्बाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक-4997/14-1, दिनांक 02.06.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं है, जो निम्न प्रकार हैं:-

1- प्रस्ताव के साथ तीन संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, जो औचित्यपूर्ण नहीं हैं, इसके स्थान पर एक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, जिसमें प्रभावित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित, पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों एवं पौधों का स्पष्ट विवरण अंकित हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

2- प्रस्ताव के साथ बाधक 4645 वृक्षों/पौधों का विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है। ऑनलाइन पार्ट-2 पर बाधक 1796 वृक्षों का विवरण अपलोड है, अर्थात बाधक पौधों की सं0 2849 है। इन ऑकड़ों की पुष्टि करें।

3- प्रकरण में पर्यावर्णीय स्वीकृति की आवश्यकता है अथवा नहीं ? यदि आवश्यक हो, तो प्रस्ताव के साथ सत्यापित प्रति संलग्न करें।

4- प्रस्ताव के साथ पृष्ठ-62-93 पर संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में लैण्ड बैंक की भूमि पर वृक्षारोपण का उल्लेख किया गया है, जबकि उक्त भूमि वन ब्लाक में स्थित है। इस सम्बन्ध में लैण्ड बैंक का आशय स्पष्ट करने का कष्ट करें।

5- प्रस्ताव के साथ पृष्ठ-62-93 पर संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश नहीं किया गया प्रतीत होता है।

6- प्रस्तावित स्थल का डिजिटल मैप सी0डी0 सहित संलग्न है, किन्तु सी0डी0 में कोई मार्किंग अंकित नहीं है।

7- ऑनलाइन एवं आफलाइन पार्ट-2 पर अंकित हरियाली का घनत्व त्रुटिपूर्ण है। दशमलव के एक स्थान तक ही अंकित किया जाता है।

8- प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की गणना खुले वन हेतु निर्धारित दर पर की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। 0.6 हरियाली के घनत्व के अनुसार सघन वन हेतु निर्धारित दर रू0 8,03,000/- प्रति हे0 की दर पर एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

9- मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W, प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष संरक्षित वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, संलग्न नहीं है। पृष्ठ-18-21 पर संलग्न स्ट्रिप प्लान में मार्ग का ROW स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। प्रस्ताव के पृष्ठ-94 पर संलग्न प्राक्कलन का कोई औचित्य नहीं है प्रस्ताव के पृष्ठ-94 पर संलग्न ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण के प्राक्कलन को प्रस्ताव से पृथक कर दें। सम्भवतः मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वनभूमि अवशेष नहीं रह जाती। स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

10- ऑनलाइन पार्ट-2 के बिन्दु-13 पर दुगुने अवनत वनभूमि में वृक्षा0, चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि में वृक्षा0 एवं सेन्ट्रल वर्ज पर वृक्षारोपण की धनराशि को अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। चौड़ीकरण के उपरान्त अवषेष संरक्षित वनभूमि में वृक्षा0 अन्य मद में देय होता है एवं सेन्ट्रल वर्ज पर वृक्षारोपण भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा स्वयं किया जाता है। केवल दुगुने अवनत वनभूमि में वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण की धनराशि को ही ऑनलाइन पार्ट-2 के बिन्दु-13 पर अंकित करें।

11- वन संरक्षक द्वारा ऑनलाइन संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(वाई0एस0के0शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, आगरा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वाई0एस0के0शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।